रेलवे स्टेशनों के लाइसेंस शुदा कुलियों द्वारा यात्रियों से नियत पैसों से अधिक पैसों का लिया जाना

225. **श्री शिव कुमार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को समाचार मिले हैं कि रेलवे स्टेशनो पर लाइसेंस प्राप्त कुली सामान ढोने के लिए यात्रियो से अधिक पैसों की माग करते है जो कि अधिकारियों द्वारा नियत की गई दरों से तीन से चार गुना अधिक होते हैं;

(ख) क्या कुलियों के मनमाने रवैये के बारे में शिकायतों को शीघ्र सुनने तथा मामले में कार्यवाही करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर कोई व्यवस्था नही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले मे क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री टी. ए. पाई) : (क) और (ख). सरकार को ऐसी रिपोर्ट नही मिली है कि स्टेशनों पर काम करने वाले भारिक निर्धारित दरों से तिगुनी चौगुनी रकम लेते हैं। लेकिन समय समय पर लाइसेंसधारी भारिकों द्वारा यात्रियो से अधिक प्रभार लेने की शिकायते मिलती रहती है। ऐसी सभी शिकायतों पर उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

शिकायतें स्टेशन अधिकारियों के पास की जा सकती हैं जो कि ऐसी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हैं और भारिकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का अधिकार रखते हैं जिनमें उन्हे काम से निलम्बित करने और उनके लाइसेंस रद्द करने का अधिकार भी शामिल है।

यह भी उल्लेखनीय है कि भारिकों के काम की जांच करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए है। इसके अलावा स्टेशनों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों पर बार बार घोषणा की जाती है जिनमें भारिकों के लिए अधिकृत दरों का ब्यौरा बताया जाता है कि इन दरों से अधिक भुगतान न करें।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

माल वाहन के लिए रेल के डिब्बे

227. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान माल वाहन के लिए रेल के डिब्बे मिलने मे जनता को होने वाली कठिनाइयो की ओर दिलाया गया है;

(ख) डिब्बे उपलब्ध होने के सम्बन्ध मे डिवीजनवार स्थिति क्या है; और

(ग) डिब्बे उपलब्ध होने अथवा विलम्ब से डिब्बे सप्लाई किए जाने सम्बन्धी कारण क्या है और उनका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध मे क्या कारगार कार्यवाही की गई है या करने का विचार है और क्या इस सम्बन्ध में डिवीजन स्तर पर ऐसी समितियां बनाई जायेगी जिन मे उपभोक्ताओं के भी प्रतिनिधि हों ?

रेल मंत्री (श्री टी० ए० पाई) : (क) जी हां।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) हड़ताल, बन्द, समाज-विरोधी गतिविधियों आदि के कारण पूर्वी क्षेत्र में गाड़ी सेवा की विभिन्न अस्त-व्यस्तताओं के कारण 1971-72 में देश में रेल परिचालन पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। केवल पूर्व रेलवे पर दिसम्बर, 1971 तक लगभग 20,000 माल डिब्बे रुके रहे, जिसके कारण दूसरी रेलों पर माल डिब्बों की आम कमी रही। बहुत अधिक बाढ़ों और लाइनों की टूट-फूट तथा शरणार्थियों के लिए

खाद्यान्न और अन्य आवश्यक माल की भारी ढुलाई और भारी सैनिक यातायात के कारण स्थिति और अधिक खराब हो गई । चालू वित्तीय वर्ष में, मई और जून, 1972 में देश के पूरे पूर्वी, मध्यवर्ती, उत्तरी और पश्चिमी भागों में अत्यधिक लू चलने के कारण रेल परिचालन पर फिर गंभीर प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप महत्वपूर्ण वर्गों में रेल कर्मचारियों की बहुत अनुपस्थिति रही । दामोदर घाटी योजना और बिहार राज्य बिजली बोर्ड से बार-बार बिजली बन्द हो जाने के कारण भी, मई और जून में पूर्व और दक्षिण-पूर्व रेलों में रेल परिचालन पर असर पड़ा जिस के कारण अन्य क्षेत्रीय रेलों पर माल डिब्बों की उपलब्धता पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ा । फिर भी रेलें 1972-73 के पहले तीन महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11 लाख मीटरिक टन अधिक प्रारंभिक यातायात में समर्थ हुई है ।

मंडल और क्षेत्रीय स्तर पर रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियां है; इन समितियों में व्यापारिक और औद्योगिक हितों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाता है । किसी भी प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने के लिए इन हितों द्वारा इन फोरमों का उपयोग किया जा सकता है ।

देश में विद्युत की कमी

228. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हरी सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में किस-किस भाग में विद्युत की कितनी-कितनी कमी कितनी अवधि तक रही है;

(ख) इसके कारण उद्योगों और श्रमिकों को कितनी-कितनी हानि हुई है; और

(ग) इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) गत एक वर्ष के दौरान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के दक्षिणी भागों में बिजली की कमी हो गई थी । उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और तामिलनाडु में भी बिजली की कमी की स्थिति रही । कमी की मात्रा और अवधि निम्न प्रकार से थी :—

	मात्रा	अवधि
आंध्र प्रदेश	19%	अप्रैल से जुलाई, 1972 तक
उत्तर प्रदेश	8%	वर्ष भर
उड़ीसा	8%	मार्च से जुलाई 1972 तक
महाराष्ट्र	2% से 10% तक	मार्च से जून, 1972 तक
पंजाब हरियाणा		जून-अगस्त, 1972 में छोटी सी पाबन्दियां
गुजरात	10% से 20% तक	फरवरी से जून, 1972 तक
पश्चिम बंगाल	अधिकतम 10%, पीक समयों में, किन्तु लोड शेडिंग अक्सर	नवम्बर, 1971 से अब तक
बिहार	5 से 45% तक	जून से जुलाई, 1971 तक और अप्रैल से मई, 1972 तक
तामिलनाडु	10% से 25% तक	जून, 1972 से । कुछ दिनों के लिए

(ख) उद्योग की उत्पादन में कुछ हानि हुई थी किन्तु केवल बिजली की कमी से कितनी